

नोटिस

प्रायः देखने/सुनने में आया है कि हरियाणा सिविल सचिवालय के दस्तावेजों की सूचना लीक हो जाती है। अतः हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी के संज्ञान में लाया जाता है कि कार्यालय की गोपनीयता को बनाए रखें। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सरकारी दस्तावेजों की सूचना किसी भी माध्यम से लीक करने में संलिप्त पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक: 02.06.2020

रजनी शर्मा
उप सचिव,
सचिवालय स्थापना।

पृ० क्रमांक 10/08/2020-5स्था०-I

दिनांक 02-06-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं विशेष कार्यकारी अधिकारी/सलाहकार/राजनैतिक सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव, वरिष्ठ सचिव, सचिव, निजी सचिव।
2. सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव, वरिष्ठ सचिव, सचिव, निजी सचिव।
3. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/ अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं अन्य शाखा इंचार्ज।

Ramesh Kumar
अधीक्षक, स्थापना-I

कृते: उप सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।

24

आन्तरिक विवतरण

उप-अधीक्षक, स्थापना-II शाखा।